

Rev (DMC) (C) 20-212021 — COVID 19 — III
Government of Himachal Pradesh
Disaster Management Cell (Revenue Department)

Dated: 27th May 2021

ORDER

The State Executive Committee (SEC) while reviewing the status of Covid-19 situation in the State, noted that the Department of Health and Family Welfare has issued directions to the Deputy Commissioners and Chief Medical Officers to ensure that community-based services and primary level health infrastructure in the peri-urban, rural and tribal areas of the State are equipped and oriented to manage COVID-19 cases. However, the SEC was of the view that the role of local bodies and community needs to be enhanced to manage the Covid-19 pandemic.

Therefore, keeping in view the actions that need to be taken at the community level and the need for engaging all stakeholders in preparation and execution of a Panchayat level plan to effectively manage the COVID-19 situation in their respective communities, the undersigned, in the capacity of the Chairman (SEC), exercising the powers conferred under section 22(2)(h) and section 24 of the Disaster Management Act, 2005 directs formation of Panchayat Level COVID Management Task Force with the following members:

- 1. Pradhan, Gram Panchayat – Chairperson**
- 2. All the Ward members.**
- 3. Panchayat Secretary/Sahayak**
- 4. Patwari**
- 5. Teachers residing in that Panchayat**
- 6. Anganwadi Workers**
- 7. Medical Officer of the PHC in that Panchayat, if any**
- 8. FHW/CHO**
- 9. Ayurveda Department worker/AMDs**
- 10. ASHA workers**
- 11. Representatives of the NYKs, Yuvak Mandals, SHGs and Mahila Mandals.**



The task force shall be at liberty to associate anybody else, whom it considers essential to help in managing the Covid-19 pandemic at the Panchayat level. The mandate of the Panchayat Level COVID Management Task Force shall be as under:

1. Active surveillance for influenza like illness, severe acute respiratory infection and encouraging them to undergo covid-19 testing at the earliest.
2. Rapid Antigen testing of all symptomatic cases by the Health Department. If negative, the samples of symptomatic individuals need to be tested through RTPCR in coordination with BMO. These patients will also be counseled to isolate themselves till test results are available.
3. Information regarding the positive cases to be shared promptly with the Health and Revenue Department and appropriate management in terms of home isolation, and referral of the cases with co-morbidity or low oxygen saturation to higher institutions.
4. Ensure Quarantine of the asymptomatic cases having history of high risk exposure to COVID patients as well as persons with travel history from high covid-19 case load areas.
5. Ensure regular monitoring of pulse, temperature, SpO2 and other required indicators for patients in home isolation. In case of warning signs like difficulty in breathing, drop in oxygen saturation ($SpO_2 < 94\%$), persistent pain in the chest, mental confusion, the patient should be referred to a facility having oxygen beds in consultation with BMOs.
6. To develop a system of providing the pulse oximeters and thermometers on loan to families with a confirmed case of COVID through ASHA/ Anganwadi workers and village-level volunteers. The pulse oximeters and thermometers should be sanitized after each use with cotton/cloth soaked in alcohol-based sanitizer. Follow-ups for patients undergoing isolation/ quarantine could be done through household visits by frontline workers/ volunteers or teachers duly following required infection prevention practices including use of medical mask and other appropriate precautions.
7. Planning and preparing local community level quarantine/isolation facilities, in consultation and with the assistance of the BDOs/SDMs for patients who are unable to isolate at home due to any constraint.
8. Creating awareness and ensure compliance of guidelines regarding covid-19 appropriate behavior such as wearing masks in public places, social

distancing, hand sanitization, enforcing ban/restrictions on social, cultural, religious gatherings, marriages, cremations etc. and reporting specific cases of violation to the local administration.

9. Identifying and assigning teams of volunteers from the local community preferably, for providing Social support to the families having home isolated persons, in the form of provisioning of supplies, taking care of daily chores including looking after domestic animals etc.
10. Assist the Health department to set up Vaccination centers in the Panchayat area and to motivate eligible residents of the Panchayat to get vaccinated.

The respective roles and responsibilities shall be as under:

Active Surveillance for ILI/SARI	Anganwadi Workers, Ayurvedic Personnel, , Representatives of the NYKs, Yuvak Mandals, SHGs and Mahila Mandals
Testing of all symptomatic cases	MO/ANM/CHO
Counseling	Teachers residing in that Panchayat
Monitoring of Home Isolated persons	Ward members, ANM, ASHA, AWW
Compliance of guidelines regarding social gatherings	Pradhan, Panchayat Secretary/Sahayak, Patwari, Ward Member.
Social Support	All members of Task Force

Training:

The training to the respective members of the task force shall be imparted by the respective Department under whose jurisdiction the activity to be performed falls. For instance, for the surveillance of ILI/SARI, the Health Department at the Block level shall impart training to the Task Force.

Monitoring:

The Task Force shall be monitored by the Block Development Officer, who in turn shall be monitored by the respective Sub Divisional Officer (Civil). For the purpose of monitoring the following parameters shall be evaluated:


1. Percentage of population screened daily for influenza like illness, severe acute respiratory infection through house to house visits. The percentage coverage of population should be at least 15% per day so that the screening of whole of the population can be carried out on a weekly basis.
2. Percentage of ILI/SARI cases detected who have been tested. It should be 100%
3. Percentage of Home Isolated individuals who have been monitored daily. It should be 100%
4. Number of gatherings held against rules/guidelines - Negative Parameter.
5. Percentage of families with home isolated persons provided social support.
6. Percentage of deaths of covid-19 patients, where cremation has been facilitated.

Incentive:

The Panchayat Level Task Force shall be evaluated on the above parameters and the Task force(s) undertaking exemplary work shall be felicitated at the District and the State Levels.

Penal Provisions:

Any person violating these measures will be liable to be proceeded against as per the provisions of Section 51-60 of the Disaster Management Act. 2005, besides legal action under Section 188 of the IPC and other legal provisions as applicable.

 This Order shall remain in force, in all parts of the State with immediate effect, till further orders.

Approved by


**(Anil Kumar Khachi)
Chief Secretary cum Chairperson,
State Executive Committee, Himachal Pradesh.**

To

1. All the Administrative Secretaries to the Government of Himachal Pradesh.
2. All the Head of Departments, Himachal Pradesh. Director RDD & PR will ensure sensitisation of all local level public representatives as well as other social organisations like SHGs/MMs/Yuvak Mandals etc and seek their active participation in the task force
3. All the Divisional Commissioners, Himachal Pradesh.
4. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
5. The Director I & PR for wider dissemination.

Copy for information to:

1. The Home Secretary, Ministry of Home Affairs, Government of India.
2. Principal PS to Hon'ble Chief Minister-cum-Chairperson, HPSDMA.
3. Press Secretary to Hon'ble CM, Himachal Pradesh.



(Sudesh Kumar Mokhta)
Director-cum-Special Secretary (Rev.-DM)
Government of Himachal Pradesh.

रैव (डीएमसी) (सी) 20-21 / 202-कोविड 19-
आपदा प्रबंधन प्रकोष्ठ (राजस्व विभाग)
हिमाचल प्रदेश सरकार

दिनांक 27 मई, 2021

आदेश

राज्य में कोविड-19 की स्थिति की समीक्षा करते हुए राज्य कार्यकारिणी समिति के ध्यान में आया है कि स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग द्वारा उपायुक्तों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के शहरी, ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में समुदाय आधारित सेवाएं और प्राथमिक स्तर के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को पूर्णतः सुनिश्चित किया जाए। राज्य कार्यकारी समिति का विचार है कि कोविड-19 महामारी के प्रबंधन के लिए स्थानीय निकायों और समुदाय की भूमिका को बढ़ाने की आवश्यकता है ।

इसलिए, सामुदायिक स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई और इस तैयारी में सभी हितधारकों को शामिल करने की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तथा कोविड -19 स्थिति को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए पंचायत स्तर की योजना का निष्पादन करने हेतु अधोहस्ताक्षरी, अध्यक्ष, राज्य कार्यकारी समिति की क्षमता में, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 22 (2) (एच) और धारा 24 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित सदस्यों की पंचायत स्तरीय कोविड -19 प्रबंधन कार्य बल के गठन का निर्देश देता हूँ।

1. प्रधान, ग्राम पंचायत- अध्यक्ष
2. सभी वार्ड सदस्य
3. पंचायत सचिव/सहायक
4. पटवारी
5. पंचायत में रहने वाले शिक्षक
6. आंगनवाडी कार्यकर्ता
7. उस पंचायत में पीएचसी के चिकित्सा अधिकारी यदि कोई हों
8. एफएचडब्ल्यू / सीएचओ
9. आयुर्वेद विभाग के कार्यकर्ता / एएमडी
10. आशा कार्यकर्ता

टास्क फोर्स किसी और सदस्य को सम्मिलित करने के लिए स्वतंत्र होगी, जिसे वह पंचायत स्तर पर कोविड -19 महामारी के प्रबंधन में मदद करने के लिए आवश्यक समझता है। पंचायत स्तर की कोविड 19 मैनेजमेंट टास्क फोर्स का कार्य निम्नानुसार होगा:

- 1 इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण (सांस लेने में तकलीफ) के लिए सक्रिय निगरानी और उन्हें जल्द से जल्द कोविड -19 परीक्षण के लिए प्रोत्साहित करना ।
- 2 स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी रोगसूचक (Symptomatic) मामलों का रैपिड एंटीजन परीक्षण। यदि नकारात्मक है, तो रोगसूचक व्यक्तियों के नमूनों का परीक्षण ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी के समन्वय में आरटीपीसीआर के माध्यम से किया जाना चाहिए। टेस्ट के परिणाम आने तक इन रोगियों को खुद को आइसोलेट करने की भी सलाह दी जाएगी ।
- 3 Covid Positive मामलों के बारे में सूचना स्वास्थ्य और राजस्व विभाग के साथ तुरंत साझा की जाएगी और होम आइसोलेशन और उच्च संस्थानों में सह-रुग्णता या कम ऑक्सीजन संतृप्ति वाले मामलों के संदर्भ में उचित प्रबंधन किया जाएगा।
- 4 कोविड रोगियों के उच्च जोखिम वाले इतिहास (High risk exposure) तथा उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों (High risk load area) में यात्रा वाले स्पर्शोन्मुख मामलों की संगरोध सुनिश्चित किया जाएगा ।
- 5 होम आइसोलेशन में मरीजों के SpO2 और अन्य आवश्यक संकेतकों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करें। सांस लेने में कठिनाई, ऑक्सीजन संतृप्ति में गिरावट, सीने में लगातार दर्द, मानसिक भ्रम जैसे चेतावनी संकेतों के मामले में, रोगी को ब्लॉक चिकित्सा अधिकारियों के परामर्श से ऑक्सीजन बेड वाले एक सुविधा में भेजा जाना चाहिए।
- 6 कोविड-19 के पुष्ट मामले वाले परिवारों को ऋण पर पल्स ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर उपलब्ध कराने की प्रणाली आशा/आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और ग्राम स्तर के स्वयंसेवकों के माध्यम से विकसित की जानी चाहिए। पल्स एक्सीमीटर और थर्मामीटर को प्रत्येक उपयोग के बाद अल्कोहल आधारित सैनिटाइज़र में भिगोए हुए सूती/कपड़े से साफ किया जाना चाहिए। आइसोलेशन/क्वॉरंटाइन वाले मरीजों की फॉलो-अप फ्रंटलाइन वर्कर्स/स्वयंसेवकों या शिक्षकों द्वारा घरेलू दौरों के माध्यम से



की जा सकती है, जिसमें चिकित्सा मास्क के उपयोग और अन्य उचित सावधानियों सहित आवश्यक संक्रमण रोकथाम प्रथाओं का पालन किया जा सकता है।

- 7 पंचायत स्तर पर BDO/SDM की सहायता से संघरोध (Isolation/Quarantine) सुविधा को स्थापित करना ताकि जिन व्यक्तियों के निजी आवास में ऐसी सुविधा सम्भव न है, उन्हें एक सुरक्षित संघरोध सुविधा उपलब्ध हो सके।
- 8 सार्वजनिक क्षेत्रों में मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, हस्त स्वच्छता इत्यादि, कोविड-19 उचित व्यवहार के दिशानिर्देशों के बारे में जागरूकता एवम् सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोहों, विवाह, दाह संस्कार आदि के संबंध में पाबंदियों को लागू करना तथा इससे सम्बन्धित उल्लंघन को स्थानीय प्रशासन को सूचित करने की अनुपालना सुनिश्चित करें।
- 9 स्थानीय समुदाय से स्वयंसेवकों की टीमों की पहचान करना और उनके द्वारा, अधिमानतः होम आइसोलेशन के परिवारों को सामाजिक सहायता प्रदान करने के लिए, आपूर्ति के प्रावधान के रूप में घरेलू जानवरों की देखभाल सहित दैनिक कार्यों की देखभाल करना आदि।
- 10 पंचायत क्षेत्र में टीकाकरण केंद्र स्थापित करने में स्वास्थ्य विभाग की सहायता करना और पंचायत के पात्र निवासियों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना।

संबंधित भूमिकाएं और जिम्मेदारियां निम्नानुसार होंगी:

इन्फ्लूएंजा के लिए सक्रिय निगरानी	आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आयुर्वेदिक कर्मी, नेहरू युवा केंद्रों, युवा मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों के प्रतिनिधि।
आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आयुर्वेदिक कर्मी, नेहरू युवा केंद्रों, युवा मंडलों, स्वयं सहायता समूहों और महिला मंडलों के प्रतिनिधि।	MO/ANM/CHO
काउंसिलिंग	उस पंचायत में रहने वाले शिक्षक
होम आइसोलेशन व्यक्तियों की निगरानी	वार्ड सदस्य ANM, ASHA
सामाजिक समारोहों के संबंध में दिशा-निर्देशों का अनुपालन	प्रधान, पंचायत सचिव/सहायक, पटवारी, वार्ड सदस्य
सामाजिक समर्थन	टास्क फोर्स के सभी सदस्य

प्रशिक्षण

टास्क फोर्स के संबंधित सदस्यों को प्रशिक्षण, संबंधित विभाग द्वारा प्रदान किया जाएगा जिसके अधिकार क्षेत्र में की जाने वाली गतिविधि आती है। उदाहरण के लिए, ILI/SARI की निगरानी के लिए स्वास्थ्य विभाग ब्लॉक स्तर पर टास्क फोर्स को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

निगरानी

टास्क फोर्स की निगरानी खंड विकास अधिकारी करेंगे, जिनकी निगरानी संबंधित मंडल अधिकारी (सिविल) द्वारा की जाएगी। निगरानी के उद्देश्य से निम्नलिखित मापदंडों का मूल्यांकन किया जाएगा:

- 1 घर-घर जाकर इन्फ्लूएंजा जैसी बीमारी, गंभीर तीव्र श्वसन संक्रमण के लिए जनसंख्या का प्रतिशत, प्रतिदिन जांच की जाती है। जनसंख्या का प्रतिशत कवरेज कम से कम 15% प्रति दिन होना चाहिए ताकि पूरी आबादी की स्क्रीनिंग साप्ताहिक आधार पर की जा सके।
- 2 आईएलआई/एसएआरआई मामलों के प्रतिशत का पता चला जिनका परीक्षण किया गया है। यह 100% होना चाहिए।
- 3 होम आइसोलेटेड व्यक्तियों का प्रतिशत जिनकी प्रतिदिन निगरानी की जाती है। यह 100% होना चाहिए।
- 4 नियमों/दिशानिर्देशों के विरुद्ध आयोजित सभाओं की संख्या- नकारात्मक पैरामीटर
- 5 घर में होम आइसोलेशन व्यक्तियों वाले परिवारों का प्रतिशत सामाजिक सहायता प्रदान करता है।
- 6 कोविड -19 रोगियों की मृत्यु का प्रतिशत, जहाँ दाह संस्कार की सुविधा दी गई है।

प्रोत्साहन



पंचायत स्तरीय टास्क फोर्स का मूल्यांकन उपरोक्त मापदंडों पर किया जाएगा और अनुकरणीय कार्य करने वाले टास्क फोर्स को जिला और राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाएगा।

दंडात्मक प्रावधान

इन उपायों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 के प्रावधानों के अलावा आईपीसी की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई और लागू होने वाले अन्य कानूनी प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा सकती है।

यह आदेश राज्य के सभी भागों में अगले आदेश तक तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा।

अनुमोदित

(अनिल कुमार खाची)
मुख्य सचिव एवं अध्यक्ष
राज्य कार्यकारिणी समिति
हिमाचल प्रदेश

प्रेषक

- 1 सभी प्रशासनिक सचिव, हिमाचल प्रदेश सरकार
- 2 सभी विभागाध्यक्ष, हिमाचल प्रदेश, निदेशक, ग्रामीण विकास विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग को सभी स्थानीय स्तर के जन प्रतिनिधियों के साथ-साथ अन्य सामाजिक संगठनों जैसे SHGs/MMs/ Yuvak Mandals की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु
- 3 समस्त संभागायुक्त, हिमाचल प्रदेश
- 4 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश
- 5 निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क व्यापक प्रसार के लिए

सूचना के लिए प्रतिलिपि

- 1 गृह सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार
- 2 माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव एवं अध्यक्ष हिमाचल प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
- 3 माननीय मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश के प्रेस सचिव

(सुदेश कुमार मोहटा)

निदेशक एवं विशेष सचिव (आपदा प्रबंधन)
हिमाचल प्रदेश सरकार।